

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष - 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स - 0755- 2555162
E-Mail: chiefelectoralfficermp@gmail.com, Website: ceomadhya Pradesh.nic.in

फा . 31/1/स्था/2013/8575

भोपाल, दिनांक 06-10-2015

प्रति,

संचालक,
जन संपर्क संचालनालय,
भोपाल

विषय- अंग्रेजी / हिन्दी अनुवाद हेतु विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में।

शीघ्र ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक लोकसभा एवं दो विधान सभा क्षेत्रों के उप चुनाव की घोषणा की जानी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के संबंध में जारी दिशा / निर्देश एवं पत्र अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं। जिन्हें हिन्दी अनुवाद करने एवं आयोग को भेजे जाने वाले पत्र एवं जानकारी अंग्रेजी में ड्राफ्ट के रूप में तैयार किये जाने हेतु हिन्दी अनुवादक की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है। कृपया राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय को भी भेजने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार ।



(एस एस बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

६

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल


दूरभाष - 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फ़ैक्स - 0755- 2555162
E-Mail: chiefelectoralofficermp@gmail.com, Website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा . 31/1/स्था/2013

भोपाल, दिनांक 6/1

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में निर्वाचन से संबंधित नियम/निर्देश एवं ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य अंग्रेजी में किया जाना, हिन्दी के नियम / निर्देश को अंग्रेजी में अनुवाद करने, अंग्रेजी के नियम/निर्देशों को हिन्दी में अनुवाद करने तथा प्रतिवदेन पत्रों का ड्राफ्ट अंग्रेजी में किया जाने का कार्य /जॉब कार्य अनुसार प्रति 1000 शब्द/प्रतिदिन के आधार पर कराया जाकर 100 प्रतिशत सही कार्य होने पर भुगतान किया जावेगा । कार्य करने के इच्छुक अंग्रेजी के जानकार व्यक्ति/संस्थाओं से दिनांक 20.10.2015 तक कोटेशन/निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपनी निविदा कोटेशन बंद लिफाफे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय 17, अरेरा हिल्स भोपाल के नाम से (लिफाफे पर अंग्रेजी अनुवाद के लिये निविदा/कोटेशन) अंकित की जाकर दोपहर 3.00 बजे तक भण्डार कक्ष के सहायक को प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद प्राप्त करें। कोटेशन/निविदा में दर प्रतिदिन (8 घंटे) तथा प्रति 1000 शब्दों के अनुसार दरें अंकित कर दी जावे। संबंधित संस्था/ व्यक्ति को अनुवाद के साथ साथ टाईप कर स्वच्छ प्रति में ड्राफ्ट पत्र नियम/निर्देश प्रस्तुत करना होंगे। आवश्यकतानुसार सी डी साफ्ट कॉपी तथा हार्ड कॉपी दी जाना होगी।


(एस एस बंसल)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश